कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री बंसल वायर्स प्राइवेट लिमिटेड, 563, म्योर रोड, कैन्ट, कानपुर।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**321 / 08, 07.07.2008**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री बंसल वायर्स प्राइवेट लिमिटेड, 563, म्योर रोड, कैन्ट, कानपुर द्वारा दिनांक 07.07.2008 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्नलिखित 04 प्रश्न पूछे गये हैं :-

1. क्या हरे एवं जीवित यूकेलिपटस के पेड़ों की बिक्री व्यापारिक गतिविधि है।

2. कम्पनी द्वारा एम0 एस0 वायर का निर्माण एवं बिक्री की जाती है तथा क्या अपवाद स्वरूप हरे एवं जीवित यूकेलिपटस के पेड़ों की बिक्री व्यापार की परिभाषा में आती है।

3. यदि उक्त बिक्री व्यापार की श्रेणी में आती है तब क्या हरे एवं जीवित यूकेलिपटस के पेड़ों की बिक्री उत्तर प्रदेश वैट एक्ट, 2008 की कर अनुसूची-1 के इन्ट्री नम्बर-16 के अन्तर्गत आयेगी।

4. यदि उक्त ग्रीन एवं हरे यूकेलिपटस के पेड़ों की बिक्री पर वैट में कर की देयता है तो किस दर से।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 18.09.2013 के लिए नोटिस भेजी गई। उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र में यह कहा गया है कि उनके द्वारा एम0 एस0 वायर का निर्माण व बिक्री किया जाता है। उनके परिसर में यूकेलिपटस के पेड़ लगे हुए हैं। वह उनकी बिक्री करना चाहते हैं। उपरोक्त बिक्री की, करदेयता के सम्बन्ध में उनके द्वारा प्रश्न किये गये हैं।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-द्वितीय, कानपुर द्वारा पत्र संख्या-608, दिनांक 13.02.2009 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि यदि ताजे व हरे यूकेलिपटस के पेड़ों की बिक्री की संविदा के अन्तर्गत उन्हें जमीन से पृथक करने का अनुबन्ध हो तो उन पेडों की बिक्री पर नियमानुसार करदेयता बनती है। यह कार्य व्यापारिक गतिविधि है। यह भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I के क्रमांक-16 पर अंकित प्रविष्टि के अन्तर्गत यूकेलिपटस के पेड़ नहीं आते हैं। इन पर अवर्गीकृत वस्तु के रूप में 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-2 (m) के अन्तर्गत गुड्स की परिभाषा निम्न भाँति है :-

'' goods '' means every kind or class of movable property and includes all materials, commodities and articles involved in the execution of a works contract, and growing crops, grass, trees and things attached to, or fastened to anything permanently attached to the earth which, under the

.....2

contract of sale, are agreed to be severed, but does not include actionable claims, stocks, shares or securities;

उक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि ऐसे पेड़ जिन्हें किसी अनुबन्ध के अन्तर्गत काट कर बेचने का अनुबन्ध हो, गुड्स की श्रेणी में आयेंगे । प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र में बिक्री के अनुबन्ध के सन्दर्भ में स्थिति स्पष्ट नहीं की है । उन्होंने अपने प्रार्थना-पत्र में यह माना है कि उनके द्वारा बेचे गये पेड़, गुड्स की श्रेणी में आते हैं । इस प्रकार इन पर गुड्स की भॉति करदेयता भी होगी ।

प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा यह भी कहा गया है कि जहॉ तक बिजनेस की परिभाषा का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-2 (e) (iii) की व्यवस्था निम्न भॉति है :-

any transaction of buying, selling or supplying plant, machinery, raw materials, processing materials, packing materials, empties, consumable stores, waste or by-products, or any other goods of a similar nature or any unserviceable or obsolete or discarded machinery or any parts or accessories thereof or any waste or scrap or any of them or any other transaction whatsoever, which is ancillary to or is connected with or is incidental to, or results from such trade, commerce, manufacture, adventure or concern, works contract or lease,

but does not include any activity in the nature of mere service or profession which does not involve the purchase or sale of goods;

व्यापारी द्वारा फर्म के परिसर में स्थित पेड़ों की बिक्री स्वीकार की जा रही है जो कि फर्म के assets हैं। यह व्यापारिक गतिविधि के अन्तर्गत आता है । जहॉ तक कर की दर का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I के क्रमांक-16 पर ताजे पौधे, सैप्लिंग तथा ताजे फूलों को अंकित किया गया है । यूकेलिपटस के पेड़ इस श्रेणी में नहीं आते हैं । क्योंकि इस प्रविष्टि में केवल ताजे पौधे रखे गये हैं । यूकेलिपटस के बड़े पेड़, ताजा पौधों से पूर्णत: भिन्न हैं । इन पेड़ों को काटकर, टिम्बर की भॉति प्रयोग होता है। यह पौधे की श्रेणी में नहीं आते हैं । अत: इन पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की कर अनुसूची-1 के अन्तर्गत करमुक्ति देय नहीं है ।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-द्वितीय, कानपुर द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया । पाया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में यूकेलिपटस के पेड़ गुड्स की श्रेणी में आते हैं । प्रार्थी द्वारा फर्म के परिसर में स्थित पेड़, जो कि फर्म के assets हैं, की बिक्री घोषित की जा रही है । यह व्यापारिक गतिविधि है । जहॉ तक कर की दर का प्रश्न है, यूकेलिपटस के पेड़, ताजा पौधों के अन्तर्गत नहीं आते हैं । इन्हें काटकर टिम्बर की भॉति प्रयोग होता है । इनकी बिक्री पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के शेड्युल-V के अन्तर्गत 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी ।

....3

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 29 नवम्बर, 2013

ह0 / 29.11.2013

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।